बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

—:: अधिसूचना ::—

संख्या—8 / ब.2—10—04 / 2022....3230...... / गृ0आ0, भारत—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 एवं 94 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पुलिस विशेष शाखा (बंद संवर्ग) के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।**— (1) यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी ।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषा।**— इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा)।

(iii) ''चयन पर्षद' से अभिप्रेत है 'केन्द्रीय चयन पर्षद, (सिपाही भर्ती)'।

(iv) 'सिपाही के नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी।

(v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग)।

3. **संवर्ग का गठन।**— (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी—

क्र0सं0		प्रास्थिति	अभ्युक्ति
01	सिपाही	अराजपत्रित	मूल कोटि
02	हवलदार	अराजपत्रित	प्रथम प्रो0 स्तर
03	पुलिस सहायक अवर निरीक्षक	अराजपत्रित	द्वित्तीय प्रो0 स्तर

(ii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। राज्य सरकार द्वारा पद सृजन अथवा पद विलोपन के माध्यम से तदनुसार संवर्ग बल का पुनरीक्षण समय–समय पर किया जा सकेगा।

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा संवर्ग के अनुरूप यथा अधिसूचित किया जाय। इस संवर्ग के सदस्यों की विशिष्ट कार्य पद्धति के आलोक में इन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधा देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जा सकेगा।

(iv) बिहार पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के अनुरूप इस संवर्ग के पुलिस कर्मियों के लिए भी बिहार पुलिस हस्तक 1978 (यथा अद्यतन संशोधित) के नियम, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007, पुलिस मुख्यालय के स्तर से समय समय पर निर्गत आदेश/निर्देश एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेश लागू होंगे ।

(v) बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 धारा–3 के अनुसार इस संवर्ग को बिहार पुलिस का अंग माना जायेगा एवं सामान्य पुलिस पदाधिकारीं के अनुरूप अनुशासन लागू होंगे।

(vi) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति केवल विशेष शाखा (बंद संवर्ग) के लिए की जायेगी।

(vii) विशेष शाखा में बंद संवर्ग के लिए आवंटित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर बिहार पुलिस की अन्य इकाईयों/संवर्गों से पदाधिकारियों/कर्मियों का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जा सकेगा।

4. (i) संवर्ग के कुल चिन्हित सिपाही के सभी पदों को चयन पर्षद की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा।

(ii) संवर्ग के कर्मी बिहार पुलिस हस्तक में प्रावधानित अनुसार परिधान धारण करेंगे एवं इनकी नियुक्ति केवल विशेष शाखा के लिए की जायेगी।

(iii) विशेष शाखा का कार्य अति गोपनीय एवं आसूचनाओं के आदान–प्रदान से संबंधित है अतएव पदाधिकारी/कर्मियों का कोई कर्मचारी संघ या एशोसिएशन गठित नहीं किया जा सकेगा एवं न ही किसी अन्य पुलिस एसोसिएशन या संघ के चुनाव में भाग लेंगे तथा न ही किसी भी एशोसिएशन या संघ के कार्यकलाप में भाग लेंगे।

(iv) प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा नियमानुसार संवर्ग के सिपाही के रिक्त पदों की संख्या की आरक्षण कोटिवार गणना करायेंगे एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु कार्यवाही करेंगे।

5. **संवर्ग में सीधी भर्ती।– (i)** इस संवर्ग में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन 'केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)' द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। पुलिस महानिदेशक द्वारा चयन पर्षद को विहित निदर्शन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में एक अधियाचना भेजी जायेगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लेखित होगी। 'केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)' प्रश्न पत्र निर्धारित कर लिखित परीक्षा का संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु विशेषज्ञ परीक्षकों की नियुक्ति करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

(ii) शैक्षणिक योग्यता– इस संवर्ग में सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना होगा।

(iii) उम्र– इस संवर्ग में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए उम्र का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में "सिपाही" पद के लिए समय–समय पर विहित किया जायेगा।

(iv) पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त अधियाचना के अनुसार 'केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)' रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार–पत्रों एवं अपने अधिकारिक बेबसाइट के माध्यम से विज्ञापित करायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में दिये गये निर्देशों एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा फीस, जो केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा नियत किया जायेगा, लिया जायेगा ।

(v) अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन विहित प्रपत्र में 'केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)' द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तो के अनुरूप विहित प्रक्रिया के आलोक में समर्पित की जायेगी।

(vi) लिखित परीक्षा– (क) लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (मैट्रिक) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में **दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र** 90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे जो 100 अंको का होगा। **द्वितीय प्रश्न पत्र** 90 मिनट का होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जायेंगे, इसका भी पूर्णांक 100 अंकों का होगा। दोनो पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिये गये तालिका के अनुसार होगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति चयन पर्षद के पास रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जायेगी।

परीक्षा का प्रकार		समय	अंक
वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा	प्रथम पत्र–100 अंक (i) तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता (Reasoning and analytical ability) (50 अंक) (ii) अंग्रेजी व्याकरण, बोध एवं अनुवाद (English Grammar Comprehension & Translation) (30 अंक) (iii) हिन्दी व्याकरण (20 अंक) (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा)	90 मिनट	100 अंक

	द्वितीय पत्र–100 अंक (i) सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना (50 अंक) (ii) गणित परिणात्मक कौशल (Mathematics and Quantitive aptitude) (30 अंक) (iii) बिहार के सामान्य ज्ञान (20 अंक) (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा)	90 मिनट	100 अंक

(ख) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ग) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 3 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(vii) शारीरिक मापदंड– सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के सिपाही के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप शारीरिक मापदंड लिया जायेगा जो ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित होगा, आयोजित की जायेगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाये जायेंगे उन्हें असफल माना जायेगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगी।

(viii) अर्हत्ताः–मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक वहीं होगा जैसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(ix) मेधा सूची का निर्माण–(क) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनके जन्मतिथि की वरीयता के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्मतिथि वाले दो या दो से

अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले हो तथा समान शैक्षणिक योग्यता वाले हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके दसवीं बोर्ड परीक्षा के प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित नाम के हिन्दी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ग) "केन्द्रीय चयन पर्षद" न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में अधियाचित संख्या अनुसार नामों की अनुशंसा करेगा।

(x) चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन– (क) सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जायेगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) बिहार पुलिस हस्तक नियम 658(iv) में किये गये प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह निर्धारित कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य हो सकता हो।

टिप्पणी– (i) नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि बोध, कलर ब्लाईन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट–फुट एवं नॉकिंग–नी आदि की भी जांच की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि अभ्यर्थी को चुनाव के लिए अपात्र बना देगी।

(iii) किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जायेगा।

(xi) बंद संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति– केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सिपाही के पद पर नियुक्ति के निमित नियुक्ति प्राधिकार विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा उक्त पद रिक्त रहने की स्थिति में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना किसी अन्य पुलिस अधीक्षक को नामित कर सकेंगे।

(xii) प्रशिक्षण– (i) बंद संवर्ग के लिए सीधे नियुक्त सिपाही के बुनियादी प्रशिक्षण 270 कार्यदिवस की होगी। उनका व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अन्य गुप्तचर एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर पाठ्यक्रम तैयार करते हुए पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदनोपरान्त प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(xiii) परिवीक्षा अवधि एवं सम्पुष्टि–

(क) नव नियुक्त सिपाही (बंद संवर्ग) नियुक्ति की तिथि से परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि दो वर्षो की होगी। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि का विस्तार किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय, सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर इन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) सिपाही संवर्ग की सेवा, बुनियादी प्रशिक्षण पूरी होने, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

(xiv) विभागीय परीक्षा– विशेष शाखा बंद संवर्ग में नव नियुक्त सभी सिपाहियों को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) बिहार द्वारा आयोजित होने वाली हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं NIELIT द्वारा आयोजित

कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही द्वितीय एवं अग्रतर वेतन वृद्धि देय होगी।

(xv) वरीयता–सिपाही (बंद संवर्ग) की वरीयता केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बुनियादी प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के समानुपातिक योग के अनुसार विनिश्चित की जायेगी।

6. आरक्षण।– (i) इस संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण संबंधी, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अवधारित प्रावधान लागू होंगे।

7. विभागीय प्रोन्नति।– (i) विशेष शाखा बंद संवर्ग में सिपाही को वरीयता–सह योग्यता के आधार पर सोपान में उच्चतर पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी बशर्ते कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर, अवधारित यथा पुनरीक्षित कालावधि पूरी हो गई हों।

(ii) प्रोन्नति वरीयता–सह योग्यता मानदंड के अनुसार देय होगी, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी। प्रोन्नति हेतु योग्यता मानदंड में गोपनीय चरित्र अभियुक्ति, विभागीय परीक्षा आदि सम्मिलित होगा ।

8. विभागीय प्रोन्नति समिति।– (i) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

(ii) सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित वेतनमान आधारित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(iii) प्रारम्भ के वर्षों में प्रोन्नति के पदों की रिक्तियों को भरने में समय लगेगा। अतः संक्रमण अवधि के लिये, जो कि अधिकतम छः वर्षों के लिए होगी, ये पद बिहार पुलिस के सामान्य पुलिस कर्मियों से भरे जायेंगे।

9. अवशिष्ट मामले।– इस नियमावली या इसके अधीन निर्गत किसी आदेश से जो मामले आच्छादित नहीं होंगे, वैसे मामले बिहार सेवा

संहिता/नियमावली/संकल्प/पुलिस हस्तक/बिहार पुलिस अधिनियम 2007 जो भी राज्य सरकार में समकक्ष पद के लिए अनुमान्य होगा, द्वारा शासित होंगे।

10. निर्वचन।– इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि कोई शंका हो तो विधि विभाग के परामर्श से तत्संबंधी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा किया गया निर्वचन अंतिम होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(किरण माला पँवरिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–8/ब.2–10–04/2022 गृ0आ0 / पटना, दिनांक– ....,2024

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–8/ब.2–10–04/2022 गृ0आ0 / पटना, दिनांक– ....,2024

प्रतिलिपि :–राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–8/ब.2–10–04/2022 गृ0आ0 / पटना, दिनांक– ....,2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–8/ब.2–10–04/2022 गृ0आ0 3230 / पटना, दिनांक– 15/03/,2024

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.03.24
सरकार के अवर सचिव